प्रधानमंत्री आवास योजना –सबके लिए आवास (शहरी)

प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

(केवल ऑनलाइन आवेदन-पत्र ही स्वीकार्य)

पंजीकरण की अवधि
दिनांक 30.07.2020 से
दिनांक 25.09.2020 तक।

जुलाई 2020

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010

वेबसाइट : ldaonline.in

विवरण पुस्तिका

योजना का नाम : प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी)

स्थल : शारदा नगर विस्तार, कानपुर रोड, लखनऊ।
बसंतकुंज योजना सेक्टर–एन, हरदोई रोड

उद्देश्य

भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) का शुभारम्भ जून, 2015 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देश के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के बेघर परिवारों (जिनके पास पक्का आवास नहीं है) को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना है।

योजना का विवरण : प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कराये जा रहे भवनों का विवरण निम्नवत् है :–

भवन विवरण तालिका

क्र. सं.	योजना का नाम / (रेरा रजिस्ट्रेशन संख्या)	भवनों की संख्या	भवन का कार्पेट एरिया/सुपर एरिया वर्ग मी.	भवन का मूल्य (लाख रू0)	केन्द्रीय अंशदान (अनुदान) (लाख रू0)	राज्य अंशदान (अनुदान) (लाख रू0)	लाभार्थी द्वारा देय धनराशि (लाख रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शारदा नगर विस्तार **UPRERAPRJ215548**	**2256**	**24.68- 24.75 /36.65**	**6.51**	**1.50**	**1.00**	**4.01**
2	बसंतकुंज योजना, सेक्टर–एन **POCKET – A** UPRERAPRJ684702 **POCKET – B** UPRERAPRJ859546 **POCKET – C** UPRERAPRJ706401 **POCKET – D** UPRERAPRJ440627	 **768** **912** **432** **144**	**24.68- 24.75 /36.65**	**6.51**	**1.50**	**1.00**	**4.01**
	योग	**2256**					

नोटः

1. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 01 प्रतिशत धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यो हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत धनराशि का कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनों फण्ड में सम्पूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी।
2. प्रस्तावित विक्रय मूल्य में अन्य देय टैक्स वास्तविक अनुसार अतिरिक्त देय होंगे।
3. भवनों के स्ट्रक्चरल ग्रिड के सापेक्ष कारपेट क्षेत्रफल 24.68 से 24.75 वर्गमी. है। यह समान रूप से मूल्य हेतु मान्य/ग्राह्य होगा।

<u>पंजीकरण</u> :–

- पंजीकरण की अवधि दिनांक 30.07.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक।
- पंजीकरण शुल्क रू 5,000.00 (रूपये पांच हजार मात्र)।

<u>किश्ते</u> :–

आवंटन पत्र जारी होने के उपरांत लाभार्थी द्वारा एक माह के अन्दर रू0 45,000.00 (रू0 पैतालीस हजार मात्र) तथा अवशेष देय धनराशि छः तिमाही किश्तों में देय होगी। किश्तों का विलम्ब से भुगतान करने पर 11 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।

<u>पात्रता</u> :–

- आवेदक भारत का नागरिक एवं लखनऊ के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र पंजीकरण प्रारंभ होने के तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास उसके नाम से अथवा उसके परिवार (पति / पत्नी एवं अविवाहित बच्चे) के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम रिहायशी इकाई) नहीं होना चाहिए।
- दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवनों हेतु अधिकतम रू0 3,00,000.00 (रूपये तीन लाख मात्र) तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होगें। पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि से 6 माह के पूर्व जारी हुए आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदनकर्ता को सम्बन्धित तहसील से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पात्रता धारक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्र होगें। राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा पूर्व में चयनित आवेदकों के साथ–साथ नये आवेदकों को भी लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अधीन भवनों हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन के पश्चात उनकी पात्रता का सत्यापन राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा किये जाने के उपरांत सत्यापित आवेदक ही आवंटन के पात्र होगें।
- इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये आवास, परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होगा और केवल उन मामलों में जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, तो परिवार के पुरूष सदस्य के नाम से किया जा सकता है।

<u>आरक्षण</u> :–

- उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या 1022 / आठ–1–18–93 विविध / 2018 दिनांक 11 जुलाई, 2018 के क्रम में प्रधानमंत्री आवासीय योजना सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में ''वरीयता नीति'' व्यवस्था निम्नानुसार की गयी है :–

(अ) वर्टिकल वरीयता

क्र.सं.	**श्रेणी**	**वर्टिकल वरीयता प्रतिशत**
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	2
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27

(ब) हॉरिजेंटल वरीयता

क्र.सं.	**श्रेणी**	**हॉरिजन्टल वरीयता प्रतिशत**
1.	दिव्यांगजन	05% (वरीयता–भूतल के भवन/फ्लैट)
2.	विधवा/एकल महिला	08%
3.	उभयलिंगी	0.5%
4.	अल्पसंख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है।
5.	वरिष्ठ नागरिक	10% (वरीयता–भूतल के भवन/फ्लैट)

- आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य यह है कि पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि को आयु 60 वर्ष से कम न हो।
- सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

<u>आवंटन</u>:–

- आवेदकों की सूची जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा को प्रेषित की जाएगी एवं वह इस सूची का भौतिक सत्यापन कराते हुए सत्यापित सूची ल.वि.प्रा. को उपलब्ध करायेगें। सत्यापित सूची के आवेदकों को ही लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। असत्यापित आवेदकों के आवेदन/पंजीकरण निरस्त समझे जायेगें।
- सफल आवेदकों को मैनुअल लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा जिसकी पूर्व सूचना लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी।
- प्राप्त आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। लॉटरी कुल भवनों की संख्या से 10 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों (यदि उपलब्ध हो) हेतु की जायेगी। उक्त 10 प्रतिशत की संख्या के लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची अभिकरण द्वारा जारी करते हुए प्रतीक्षा सूची के अन्तर्गत आ रहे सभी लाभार्थियों को भी आवंटन पत्र जारी किया जायेगा। वास्तविक चयनित लाभार्थियों में से डिफॉल्टर (यदि कोई हो) लाभार्थियों का आवंटन निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची में स्थित लाभार्थियों को क्रमवार डिफाल्टर लाभार्थियों के भवन आवंटित कर संशोधित पत्र जारी किया जायेगा। ऐसी दशा में डिफाल्टर लाभार्थियों द्वारा जमा धनराशि अभिकरणों के आवंटन नियमावली के आधार पर कटौती के उपरान्त डिफाल्टर लाभार्थियों को वापस कर दी जायेगी। लाभार्थियों द्वारा मांग पत्र के अनुसार धनराशि जमा कर भवन आवंटन स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को प्रचलित एफ.डी.आर. की दर से अभिकरण द्वारा ब्याज सहित पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।

- बसन्तकुन्ज योजना के सभी पाकेट्स के भवनों को सम्मिलित करते हुए लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से प्राधिकरण नोटिस बोर्ड एवं प्राधिकरण की वेबसाइट www.ldaonline.in पर उपलब्ध होगा।
- सफल आवेदक को आवंटन पत्र भारत सरकार के पोर्टल पर बायोमैट्रिक सत्यापन अनुसार ही निर्गत तथा अनुमन्य होगा, जिस हेतु लॉटरी में सफल आवेदक को स्वयं प्राधिकरण/अन्य निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर बायोमैट्रिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
- आवंटी विद्युत कनेक्शन सम्बन्धित विभाग से अपने खर्चे पर स्वंय लेगा।
- आवंटी द्वारा भवन का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।
- आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होगें।

<u>पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसीः—</u>

- यदि कोई आवेदक लॉटरी की तिथि घोषित होने के पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन देता है, तो उसकी पंजीकरण धनराशि वापस कर दी जायेगी और उसे लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, किन्तु लॉटरी की तिथि घोषित होने के पश्चात और लॉटरी की प्रक्रिया सम्पन्न होने के पूर्व पंजीकरण निरस्तीकरण सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- लॉटरी के पश्चात असफल जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं और जिनकी जमा राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास जमा है उन्हें पंजीकरण राशि बिना ब्याज एक माह के अन्दर आर0टी0जी0एस0 द्वारा आवेदन पत्र में अंकित बैंक के माध्यम से वापिस की जायेगी। इस हेतु आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता संख्या एवं बैंक का आई0एफ0एस0सी0कोड अंकित करना अनिवार्य है।
- यदि प्राधिकरण द्वारा इस योजना का ड्रा पंजीकरण की अंतिम तिथि के एक वर्ष के अन्दर कर लिया जाता है तो जमा पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि ड्रा एक वर्ष पश्चात किया जाता है तो असफल आवेदकों को पंजीकरण की अन्तिम तिथि से ड्रा की तिथि तक एस.बी.आई. बचत खाता का साधारण ब्याज देय होगा।
- यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण किया जाता है तथा नियम व शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत+जी.एस.टी. धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद देनी होगी।
- भुगतान विवरण के अनुसार किश्तें लगातार अदा न करने पर भवन का आवंटन नियमानुसार निरस्त करने या दण्ड ब्याज निर्धारित करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा।

आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में :–

- यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पंजीकरण /उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को, जो इस योजना हेतु पात्र है को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर नियमानुसार समस्त भुगतान करने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। पात्र उत्तराधिकारी न मिलने पर भवन अभिकरण में निहित समझा जायेगा।

मिथ्या अभिकथन अथवा तथ्यों को छिपाना:–

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो उनके आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझे) करने को स्वतंत्र होगा।

भवनों का पंजीकृत अनुबन्ध, कब्जा एवं लीज डीड:–

- भवनों का निर्माण आगामी दो वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु भवनों का कब्जा पूर्व पृष्ठ पर अंकित शासनादेश के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों के पूर्ण किये जाने के अनुसार अनुमन्य होगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन भवन के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरांत शासनादेश संख्या 3188/आठ–1–13–80विविध/2010, दिनांक 05 दिसम्बर 2013 के प्रस्तर–2 (viii) के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. भवनों का विक्रय/हस्तान्तरण आवंटन की तिथि से 05 वर्षों तक प्रतिबन्धित है। परन्तु किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिए दिये गये ऋण की वसूली हेतु बन्धक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय हेतु उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा, किन्तु नीलामी/विक्रय से प्राप्त धनराशि से सर्वप्रथम शासकीय सब्सिडी की वसूली की जाएगी, तत्पश्चात् बैंक द्वारा अपने ऋण की वसूली की जाएगी। उपरोक्त दोनों धनराशि की वसूली के पश्चात कोई धनराशि बचती है तो वह धनराशि सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास विकास को वापस की जाएगी। निर्माण के उपरांत लाभार्थी के पक्ष में औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए एवं पूर्ण भुगतान के उपरान्त पंजीकृत अनुबंध (त्रिपक्षीय) निष्पादित कराते हुए कब्जा दिया जाएगा। कब्जे की तिथि से 5 वर्ष तक उक्त इकाई का उपयोग आवंटी द्वारा स्वयं किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि के बाद ही लीज डीड निष्पादित किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा उक्त इकाई का उपयोग स्वयं हेतु नहीं किया जाता है, तो आवंटन निरस्त करते हुए उक्त इकाई प्राधिकरण में निहित हो जाएगी तथा आवंटी को कोई धनराशि देय नहीं होगी।
- आवंटी को समस्त मूल्य जमा करने के उपरांत तीन महीनें के अंदर समस्त औपचारिकाएं पूर्ण कराकर अपने खर्च पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा तत्समय की गयी दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।
- पंजीकरण से पूर्व आवंटी को आन लाइन अपलोड किये गये समस्त प्रपत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।
- निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय (स्टैम्प पेपर व कोर्ट फीस) आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- प्राधिकरण द्वारा सूचित अवधि में पंजीकृत अनुबन्ध न कराने एवं भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार होल्डिंग शुल्क रु0 200/– प्रति माह देना होगा, तत्पश्चात निबन्धन से विलम्बतम छः माह तक कब्जा न लेने पर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को भवन का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

- योजना की सेवाओं का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उनका रख–रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा। योजनान्तर्गत निर्मित भवनों में कॉमन सुविधाओं के रख–रखाव हेतु उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट अधिनियम, 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। विकासकर्ता द्वारा भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 01 प्रतिशत की धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यो हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत धनराशि कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनों फण्ड में सम्पूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी। उक्त भवनों के पूर्ण होने के उपरांत प्रथम कब्जे की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक अनुरक्षित किया जायेगा। 5 वर्ष से पूर्व आर.डब्ल्यू.ए. का गठन हो जाने की स्थिति में साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रेजिडेट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तगत कर दी जायेगी।

<u>शुल्क / कर आदि की देयता</u> :–

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क आवंटी द्वारा देय होगें।

<u>अन्य सामान्य नियम व शर्तें</u> :–

- आवंटन के पश्चात लखनऊ विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें / नियम समय–समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन / परिवर्तन / परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।
- इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
- किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

<u>आवेदन कैसे करें</u> :–

- योजना में आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगें।
- योजना में आवेदन लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.ldaonline.in पर किये जायेंगे।

<u>आवेदन करने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत</u> :–

- आवेदक केवल एक पंजीकरण से एक योजना अथवा एक से अधिक योजनाओं हेतु आवेदन कर सकता है। पंजीकरण शुल्क एक बार ही भुगतान करना है।
- विवरणिका में दर्शायी समस्त योजनाओं की लॉटरी में आवेदक का नाम सम्मिलित किया जायेगा। अन्यथा आवेदक जिस योजना हेतु आवेदन करना चाहता है, आनलाइन आवेदन फार्म में उक्त योजना का नाम चयन करें।
- जिन योजनाओ में सबसे अधिक आवेदक होगें उन योजनाओं की लाटरी सबसे पहले की जायेगी। इसी क्रम में सभी योजनाओं की लाटरी की जायेगी।
- लॉटरी द्वारा जिस योजना में आवेदक को भवन आवंटित होगा, आवेदक को भवन विवरण तालिका के अनुसार उक्त योजना के सम्मुख कॉलम संख्या–8 में वर्णित मूल्य (अन्य देय टैक्स वास्तविक अनुसार अतिरिक्त देय) का भुगतान करना होगा।

भवनों के निर्माण हेतु भूमि एवं वाह्य विकास कार्य की व्यवस्था :–

- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या 1131/आठ–1–17–106विविध/2018 दिनांक 11.07.2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग/इन–पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है।
- शासन के आदेश संख्या 1878/आठ–1–18–80 विविध/2010 दिनॉक 17 अक्टूबर 2018 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के वाह्य विकास कार्य निम्नानुसार विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्था से कराये जाने हैं :–

1. <u>एप्रोच रोड एवं ड्रेन/सीवर</u> :–

अ. नगर के मुख्य मार्ग से योजना परिसर को जोडने वाली एप्रोच रोड उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिटियों के अनुरूप बिटुमिन्स रोड के रूप में लोक निर्माण विभाग के विभागीय बजट से निर्मित की जायेगी।

ब. एप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से किया जायेगा। जनपद स्तर पर अन्य स्रोतों से भी वृक्षारोपण हेतु धनराशि की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जा सकती है।

स. योजना परिसर से नगर के मुख्य नाले तक जोड़ने वाली ट्रंक ड्रेन का निर्माण नगर निगम स्थानीय नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेंगी।

द. योजना परिसर के निकटवर्ती नगर के क्षेत्र में सीवर प्रणाली होने की स्थिति मे परिसर से नगर के मुख्य सीवर को जोडने वाली ट्रंक सीवर का निर्माण उ0प्र0 जल निगम /नगर निगम स्थानीय नगर विकास द्वारा किया जायेगा इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

2. <u>बाहय जलापूर्ति</u> :–

अ. योजना के प्रत्येक पाकेट में ओवर–हेड–ट्रैक (आवश्यकतानुसार) नलकूप राइजिंग मेंन, पम्पिंग–प्लान्ट तथा पम्प हाउस का निर्माण उ0प्र0 जल निगम द्वारा वाटर सप्लाई मैनुअल के अनुसार किया जायेगा जिसके लिए वास्ताविक कार्य की लागत के आधार पर बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी तथा पेयजल का स्रोत समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

ब. पम्प हाउस में विद्युत संयोजन की कार्यवाही उ0प्र0 जल निगम द्वारा अपने उपरोक्त विभागीय बजट से करायी जायेगी तथा पेय जलापूर्ति के हेडवर्क्स रख–रखाव हेंतु नगर निकाय को हस्तगत की जायेगी।

3. <u>वाहय विद्युतीकरण</u> :–

अ. योजना के प्रत्येक पाकेट में बाहय विद्युतीकरण उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए वास्तविक लागत के अनुसार शासन स्तर से विद्युत वितरण प्रणाली हेतु आंवटित धनराशि अपने विभागीय बजट के माध्यम से करायी जायेगीं।

ब. बाहय विद्युतीकरण के अन्तर्गत सब–स्टेशन, ट्रान्सफार्मर लगाना, भूमिगत एल0टी0 लाइन तथा भवनों में विद्युत संयोजन का कार्य (फीडर पिलर के माध्यम से)सम्मिलित होगा।

स. भवनों में विद्युत संयोजन के अन्तर्गत एल.टी. लाइन से भवनों के ब्लाक्स में स्टेअर केस पर मीटर पैनल जोड़ने का कार्य सम्मिलित रहेगा।

द. मेंन स्विच लगाने व मेंन स्विच से प्रत्येक भवन तक विद्युतीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा भवन की निर्धारित लागत में सम्मिलित रहेगा।

उपरोक्त कार्य शासन द्वारा प्राधिकरण को धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर प्राधिकरण द्वारा भी सम्पादित कराये जा सकेगें।

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Process of Filling of Online Form

ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया

Brochure of Scheme is available on Lucknow Development Authority Website www.ldaonline.in Please keep the following information ready before filling up the form.

योजना की विवरणिका (ब्रोशर) लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेवसाइट www.ldaonline.in पर उपलब्ध है। कृपया ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने से पूर्व निम्नवत् सूचना / प्रपत्र अपने साथ अवश्य रखें :–

Brochure available –www.ldaonline.in

विवरणिका उपलब्ध – www.ldaonline.in

Checklist (चेकलिस्ट)

Aadhar No. (Self-attested Aadhar Card copy to be uploaded online)

1. आवेदक का आधार संख्या (स्वं हस्ताक्षरित आधार प्रपत्र की प्रति अपलोड करने हेतु साथ रखे)।
2. Mobile No./ मोबाइल नम्बर
3. If you belong to Vertical Reservation Category please keep a copy of certificate of your Category (Schedule cast, Schedule tribe or Other Backward Class) – to be uploaded online.

   यदि वर्टिकल आरक्षण श्रेणी में हैं तो अपनी आरक्षण श्रेणी (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) का प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें।
4. Recent Passport size photograph of applicant – to be uploaded online in JPEG format.

   आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो जेपीईजी फार्मेट में अपलोड करने हेतु साथ रखें।
5. If you belong to Disabled Category (Horizontal Priority Category) please keep a copy of certificate to be uploaded online.

   यदि आवेदक दिव्यांगजन श्रेणी (छैतिज आरक्षण श्रेणी) के अन्तर्गत हैं तो दिव्यांगजन श्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें।
6. Income certificate – to be uploaded online.

   आय प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखे।
7. Bank account Details (Bank account number and IFSC Code) for Refund to the unsuccessful applicants.

   बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड) जिसमें असफल आवेदक को पंजीकरण राशि वापिस की जायेगी।
8. Aadhar Number of Spouse (If Married)

   पति / पत्नी का आधार संख्या (यदि विवाहित है।)

9. Aadhaar Card, if not available Voter ID Card/Any other unique identification number of Father/Mother (Required in case of Unmarried Man/ Unmarried Woman/ Unmarried Transgender, Single / Divorcee Woman)

पिता / माता का आधार / मतदाता पहचान पत्र / कोई अन्य विशिष्ट पहचान पत्र संख्या अपलोड करने हेतु साथ रखें। (अविवाहित पुरुष / अविवाहित महिला / अविवाहित उभयलिंगी एवं विधवा / एकल महिला के लिये अनिवार्य है,)

a. Aadhar
b. Voter ID
c. Pan Card
d. Passport
e. Driving License
f. Ration card
g. Other

Note: We suggest you to take a print out of the blank form and fill in the detail before filling online to avoid any mistakes**

नोटः हमारा सुझाव है कि कृपया ऑन लाइन फार्म भरने से पूर्व निम्नवत् फार्म भरकर अपने साथ रखें, जिससे ऑनलाइन एण्ट्री दर्ज करते समय त्रुटि की सम्भावना नहीं रहें।

Proceed for Payment:
भुगतान प्रकिया

Online Payment Mode:

Please tick to select the Online Payment Mode.

ऑनलाइन भुगतान हेतु विकल्प पर क्लिक करें।

1. NET banking (नैट बैंकिग)
2. Debit Card (डेबिट कार्ड)
3. Credit card (क्रेडिट कार्ड)
4. UPI (यूपीआई)

Please submit to print the online receipt of payment.

ऑन लाइन भुगतान के उपरांत ऑनलाइन रसीद हेतु सबमिट करें।

Off-Line Payment Mode:-

ऑफ लाइन भुगतान प्रक्रिया :-

Please tick to select the Offline Payment Mode.

ऑफ लाइन भुगतान हेतु विकल्प पर क्लिक करें।

Offline payment can be done through NEFT or Demand Draft or Cash. A copy of Challan will be generated on selection of offline mode. Please print a copy of the challan & produce this to the bank as mentioned below for payment.

ऑफ लाइन भुगतान नेफ्ट अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नकद द्वारा किया जा सकता है। ऑफ लाइन भुगतान विकल्प चुनने पर एक चालान की प्रति सृजित होगी, जिसे प्रिंट कर लें। चालान की प्रति भुगतान हेतु निम्नानुसार बैंक में प्रस्तुत करें।

NEFT: -

Applicant need to visit his Bank (where he/she has his/her Account) for the fees payment through NEFT along with copy of Challan. After successful payment applicant can generate online receipt from LDA website i.e www.ldaonline.in in 3 working days. Then online receipt can be printed from LDA website by login through Aadhar number.

नेफ्ट :-

नेफ्ट से भुगतान हेतु अपने बैंक (जिस बैंक में खाता है) के माध्यम से चालान में अंकित बैंक खाते के पक्ष में पंजीकरण धनरशि रू 5000.00 भुगतान करें। आपके बैंक से उक्त धनराशि तीन दिन में प्राप्त होगी, जिसके उपरांत www.ldaonline.in पर अपने आधार नं. से लॉगिन करने पर रसीद प्रिंट कर सकते हैं।

Demand Draft : -

Please get a demand draft of Rs. 5000/- in favor of Lucknow Development Authority-PMAY. Then applicant need to visit any HDFC Bank Ltd. Branch in Lucknow city to deposit the Demand Draft along with copy of Challan. After successful payment applicant can generate online receipt from LDA website i.e www.ldaonline.in in 3 working days. Then online receipt can be printed from LDA website by login through Aadhar number.

डिमाण्ड ड्राफ्ट रू.

डिमाण्ड ड्राफ्ट से भुगतान करने हेतु Lucknow Development Authority-PMAY' के पक्ष में पंजीकरण धनरशि रू 5000.00 का ड्राफ्ट बनवायें। इसे लखनऊ शहर किसी भी एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा में चालान के साथ जमा करायें। जिसके उपरांत 3 दिन में लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.ldaonline.in पर अपने आधार नं. से लॉगिन करने पर रसीद प्रिंट कर सकते हैं।

Cash : -

The applicant need to visit any HDFC Bank Ltd branch in Lucknow city along with the copy of challan and deposit Rs. 5000/- in cash. After successful payment applicant can generate online receipt from LDA website i.e www.ldaonline.in in 3 working days. Then online receipt can be printed from LDA website by login through Aadhar number.

नकद :-

नकद से भुगतान करने हेतु लखनऊ शहर किसी भी एच.डी.एफ.सी बैंक की शाखा में चालान में अंकित बैंक खाते के पक्ष में पंजीकरण धनरशि रू. 5000.00 नकद जमा करायें, जिसके उपरांत 3 दिन में लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट **www.ldaonline.in** पर अपने आधार नं. से लॉगिन करने पर रसीद प्रिंट कर सकते हैं।

After successful payment a confirmatory SMS shall be sent to the registered mobile number of the applicant.

सफल भुगतान होने के उपरान्त आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पुष्टि हेतु एक एसएमएस प्रेषित किया जायेगा।

Please enter your Aadhar Number.

(कृपया अपने आधार संख्या दर्ज करें।)

Enter your Aadhar Number

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष 0522- 2394177, 2303133 फैक्स 0522-2395554

वेबसाइट www.ldalucknow.co.in

पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक-1	पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदक-2

शपथ-पत्र का प्रारूप

(शपथ-पत्र रू. 10/- के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।)

मैं/हम श्री/श्रीमती..पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री..आयु..
वर्ष..निवासी.. शपथपूर्वक यह बयान करता/करती हूँ करते हैं कि-

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हैं।
2. मेरे यो मेरे परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसकी पति/पत्नी/आवयस्क बच्चों से है) के किसी सदस्य का लखनऊ नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसत कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उतर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थाओं द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नही है।
3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बनध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आबंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसके निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी करेंगे। यदि मेरे भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आबंटन निरस्त करता है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये है वे सत्य है।
6. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में बैंक खाता सम्बन्धी जो विवरण दिया गया है, जो कम से कम दो वर्ष तक मान्य रहेगा।

यदि ये घोषणाएं भविष्य में असत्य पायी जाये तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आबंटित भूखण्ड/भवन निरस्त कर दें तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर लें। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व की भांति मुझसे वसूल कर ली जाये।

शपथी

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010
दूरभाष-0522-2397177, 2303133
फैक्स-0522-239 5554